न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 46 / 15

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री प्रेम कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मुरलीधर जी अग्रवाल खाद्य कारोबारकर्ता फर्म :– मैसर्स शिप्रा ऐंटरप्राईसेस, कन्हैया स्वीट्स के सामने, गली नं. 9, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। 342001 निवासी– मकान नं. 213, सुभाष कॉलोनी, न्यू पाली रोड, जोधपुर।
2. शिप्रा अग्रवाल (विक्रेता / मालिक) मैसर्स शिप्रा ऐंटरप्राईसेस, कन्हैया स्वीट्स के सामने, गली नं. 9, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर–342001। निवासी ई–115 रामेश्वर नगर, बासनी, जोधपुर। (राज.)
3. श्री सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रो. मै. श्री राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी, फौजी कॉलोनी, नोखा, बीकानेर राजस्थान–334803। निवासी–सुभाष नगर, नोखा, बीकानेर (राज.)

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25.09.2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स शिप्रा ऐंटरप्राईसेस पताः– कन्हैया स्वीट्स के सामने, गली नं. 9, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान घी (गोविन्द जी) के 500 मि.ली. के 09 पीस खुले तथा 05 गत्ता पैक कार्टन, प्रत्येक में 500 मि.ली. के 30 पीस, 04 गत्ता पैक कार्टन प्रत्येक में एक लीटर के 15 पीस एवं तीन पीस खुले, 5 लीटर के 08 टिन, तथा 15 कि.ग्रा. के 2 टिन फर्श पर आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त उक्त घी (गोविन्द जी) के 500 मि.ली. के 04 पीस वास्ते नमूना संख्या एम–425 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 420/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा घी (गोविन्द जी) के 500 मि.ली. के चारों पीस पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–425 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–425 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–425 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि घी (गोविन्द जी) के चारों नमूना पीस को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–425 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस / 477 / एक्ट / 2013 / 484 दिनांक 07.10.2013 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप

धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–425 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुऐ। अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस उसके देहांत हो जाने से अदम तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 ने बावजूद तामिल जवाब पेश नहीं किया अतः जवाब बंद किया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्राथी संख्या 1 व 2 को बार बार अवसर देने के उपरात भी अपना बहस हेतु न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुऐ, अप्रार्थी सं 03 की बहस सुनी गयी। अतः प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय पारित करना उचित समझती हूँ।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर देने के बावजूद भी अप्रार्थी सं 1 व 2 अपना पक्ष न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नही किया अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 54 के दोषी पाये जाते हैं। यदि अप्रार्थीगण पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 07.10.2013 से संतुष्ट नहीं थे तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थीगण ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः अप्रार्थी पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये से अप्रार्थीसंख्या 1 पर शास्ती रूपये 5000/- अक्षरे रूपये पाँच हजार मात्र तथा 2 व 3 पर शास्ती रूपये 15000/- प्रत्येक अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार प्रत्येक की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 10/10/17 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10/10/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / 2030-2034 दिनांक 10-10-17

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री भानुप्रताप सिंह गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. श्री प्रेम कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मुरलीधर जी अग्रवाल खाद्य कारोबारकर्ता फर्म :– मैसर्स शिप्रा ऐंटरप्राईसेस, कन्हैया स्वीट्स के सामने, गली नं. 9, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। 342001 निवासी– मकान नं. 213, सुभाष कॉलोनी, न्यू पाली रोड, जोधपुर।
04. शिप्रा अग्रवाल (विक्रेता / मालिक) मैसर्स शिप्रा ऐंटरप्राईसेस, कन्हैया स्वीट्स के सामने, गली नं. 9, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर–342001। निवासी ई–115 रामेश्वर नगर, बासनी, जोधपुर। (राज.)
05. श्री सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रो. मै. श्री राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी, फौजी कॉलोनी, नोखा, बीकानेर राजस्थान–334803। निवासी–सुभाष नगर, नोखा, बीकानेर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर